भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1916

11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

10 गीगावाट क्षमता परियोजना का योगदान/प्रभाव

1916. श्री पी. पी. चौधरी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के बैटरी विनिर्माण लक्ष्यों को पूरा करने में 10 गीगावाट घंटे की क्षमता वाली परियोजना से अपेक्षित विशिष्ट योगदान का ब्यौरा क्या है, तथा आयात निर्भरता कम करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या घरेलू ईवी विनिर्माण लागत और बैटरी सुलभता पर परियोजना के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते के तहत कोई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीयकरण योजनाएं स्थापित की गई हैं यदि हां, तो घरेलू संघटक विनिर्माताओं के लिए अपेक्षित लाभ क्या हैं; और

(घ) क्या इस परियोजना के माध्यम से विशेष रूप से विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में कोई राजगार के अवसर सृजित होंगे यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) : भारी उद्योग मंत्रालय उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अर्थात् "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" का प्रशासन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत 2 वर्ष की जेस्टेशन अवधि के उपरांत 5 वर्ष की अवधि के लिए 50 गीगावाट घंटा क्षमता हेतु कुल 18,100 करोड़ रुपए का परिव्यय है। चार पीएलआई लाभार्थियों को कुल 40 गीगावाट घंटा क्षमता दो किश्तों में आवंटित की गई है। साथ ही, सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह की जुलाई,2024 की सिफारिश के अनुसार, भारी उद्योग

मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से ग्रिड स्केल स्थैतिक भंडारण अनुप्रयोगों हेतु शेष 10 गीगावाट घंटा क्षमता के लिए बोली दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है। पीएलआई एसीसी स्कीम के उद्देश्य हैं-

i. स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा
ii. लागत प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन
iii. स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीयता संवर्धन
iv. निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन
v. सशक्त आपूर्ति श्रृंखला का विकास और रोज़गार तथा आर्थिक वृद्धि

इस स्कीम का लक्ष्य स्थानीय विनिर्माण को मजबूत बनाकर आयातित बैटरियों पर निर्भरता को कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएलआई एसीसी के लिए किसी तकनीक की बाध्यता नहीं है क्योंकि यह ईवी क्षेत्र, रक्षा, स्थैतिक भंडारण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को सेवाएं प्रदान करती है।

(ग) : जी हां। पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत तकनीक हस्तांतरण के लिए लाभार्थी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इसे पात्र निवेश माना जाता है और स्कीम में नियत तारीख़ से पांच वर्ष के भीतर न्यूनतम 60 प्रतिशत मूल्यवर्धन प्राप्त करने पर बल दिया जाता है जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास तथा स्थानीकरण को बढ़ावा मिलता है। इससे घरेलू सेल घटक विनिर्माताओं को लाभ मिलने का अनुमान है क्योंकि वे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में समाहित हो जाएंगे, प्रौद्योगिकीय प्रगति होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी।

(घ) : जी हां। पीएलआई एसीसी स्कीम के क्रियान्वयन से विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में काफी रोज़गार अवसर सृजित होने का अनुमान है। पीएलआई एसीसी लाभार्थियों से प्राप्त सूचनानुसार, 30 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता के लिए 31.01.2025 तक 809 व्यक्तियों को नियोजित किया गया है।

***